कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 684 /11–सी–FP/UP/Others/41408/2019, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 26 ,2025

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरी खीरी/उप निदेशक (बफर जोन),
दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, लखीमपुर खीरी।

विषयः– रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद–लखीमपुर खीरी में उत्तरी खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–101 (पलिया–खजुरिया–त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–730 (पीलीभीत–बेतिया–असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से 92.50 एवं राजमार्ग सं0–21 (बिलरॉया–पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी के कार्यालय पत्र संख्या–799/15–1, दिनांक 18.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं सवर्धन) अधिनियम 1980 के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश संख्या–FC-11/43/2022-FC, दिनांक 22.08.2022 के तत्क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या–3337/81–2–2022–600(60)/2000, दिनांक 07.12.2022 के अनुपालन में रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद–लखीमपुर खीरी में उत्तरी खीरी/बफर जोन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–101 (पलिया–खजुरिया–त्रिकौलिया मार्ग) के किमी0 82.20 से किमी0 119.50, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–730 (पीलीभीत–बेतिया–असाम मार्ग) के किमी0 88.00 से 92.50 एवं राजमार्ग सं0–21 (बिलरॉया–पनवारी मार्ग) के किमी0 1.50 से 8.60 तथा किमी0 18.70 से किमी0 26.00 तक कुल किमी0 56.20 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.5924 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.03.2023 द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति (Stage-I) में उल्लिखित शर्तों की प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा **विधिवत/अंतिम स्वीकृति (Final Sanction)** निर्गत की जाती हैंः–

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	Full exemption of NPV in case of laying of underground OFC cable provided no felling of trees is involved and area proposed for diversion is outside of Protected Area as per the MOEE&CC Guideline F.No.5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & revised Guideline F.No.5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022.
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portel.
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
6	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
7	No labour camps shall be established on the forest land.
8	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
10	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
11	Violation of any of these conditions will amut to violation of Forest (Conservaton) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
12	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
13	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
14	ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गा/सड्कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
15	ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
17	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
18	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
19	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
20	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
21	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
22	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूस्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
24	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.8.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग.अलग प्राप्त कर लिया है।
25	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित हैए तो मा० उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना (यदि लागू हो) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
27	पर्यावरण एवं वन मंत्रालयए नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भूसंदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
31	प्रश्नगत विधिवत/अंतिम स्वीकृति (Final Sanction) प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

32	उपरोक्त स्वीकृति को वन विभाग के वेबसाइट पर बनाये गये पोर्टल पर भी प्रस्ताव का विवरण अपडेट करना होगा।

भवदीय,

24.08

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. उप वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।
5. मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी।
6. प्रबन्धक, रिलायंस जियो इन्फोकाम लि0, रोहतास ''के'' ट्राइडेन्ट, द्वितीय तल, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

24.08

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।